न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

<u>अपील संख्याः 47/2021 एल.आर.एक्ट</u>

<u>GCMS No. 2021/59</u>

अबूबक्कर पुत्र सफी मोहम्मद मण्डेलियां जाति व्यापारी निवासही वार्ड नं. 16 बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़।
2. संजय कुमार पुत्र शिवप्रसाद जाति सिखवाल ब्राह्मण निवासी बिग्गा बास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः	श्री राजेश बैद	अभिभाषक अपीलांट
	श्री सुरेश व्यास	अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर के आदेश दिनांक 31.08.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा रोही श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नंबर 1138 व 1152 की तादादी 7.090 हैक्टेयर स्थित है। अपीलांट के एकदम पास रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का खेत खसरा नंबर 1446/1444 की भूमि स्थित हैं। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने अपीलार्थी के खेत मार्ग का रास्ता बन्द करने का आदेश दिनांक 18.12.2020 जारी किया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशा. बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशा. बीकानेर ने आदेश दिनांक 31.08.2021 जारी करते हुए अपीलांट की उक्त अपील को खारिज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.08.2021 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री राजेश बैद ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा रोही श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नंबर 1138 व 1152 की तादादी 7.090 हैक्टेयर स्थित है। अपीलांट के एकदम पास रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का खेत खसरा नंबर 1446/1444 व खसरा नंबर 1137 में से होकर नेशनल हाईवे नंबर 11 (953) में प्रवेश करता हैं। उक्त रास्ता वर्षों से चला आ रहा हैं उक्त रास्ते बाबत रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कभी कोई एतराज नहीं किया और न ही कोई कार्यवाही की। अपीलांट ने उक्त रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने खेत खसरा नंबर 1138 की सींव तक दोनो ओर लोहे के गेट लगवा रखे हैं तथा कंकर की कच्ची सड़क बना रखी हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उक्त रास्ते को बन्द कराने की नियत से मनमाना मौका रिपोर्ट मंगवाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से आदेश जैर प्रथम अपील दिनांक 18.12.2020 प्राप्त कर लिया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा उक्त वादगत मार्ग को बन्द करने का आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा तहसीलदार ने विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों की ओर ध्यान न देते हुए अवैध आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर के समक्ष अपील पेश की, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय में अभिभाषक अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि *तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2020 को दिनांक 22.01.2021 को स्वतः ही निरस्त कर दिया है, ऐसे में उक्त अपील को आगे चलाने का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर जरिये विड्रो खारिज की जावे।* ऐसी परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रथम अपील निष्फल (Infructuous) हो जाने के कारण निरस्त योग्य थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर गौर किये ही दिनांक 22.01.2021 को निरस्त करने में कानूनी गलती की है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 श्री सुरेश व्यास हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण वहस में शामिल नही हुए।

4– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, अभिभाषक अपीलांट की बहस का एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट दिनांक 06.09.2022 का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण बहस में शामिल नहीं हुए। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2021 द्वारा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 18.12.2020 की निरंतरता में जारी आदेश दिनांक 22.01.2021 को निरस्त किया। चूंकि तहसीलदार ने अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2020 को आदेश दिनांक 22.01.2021 द्वारा निरस्त कर दिया था। उक्त अवस्था में अपीलांट द्वारा अपील विड्रो का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 22.01.2021 को निरस्त कर दिया, जो कि न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा.) बीकानेर के आदेश दिनांक 31.08.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रचलित रास्ते को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर